फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : भानसिंह राव **विपक्षी : श्री चतरसिंह राव**

किस्म मुकदमा –53, 88 **पत्रावली संख्या : 77/15**

जीसीएमएस : 2015/00025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 03.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान द्वारा आराजी नम्बर 282, 283 की राजस्व नक्शे में तरमीम मौका अनुसार नही होने से तरमीम शुद्धि उपरान्त ही बंटवाड़ा करने की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है। अधिवकता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा भी तरमीम शुद्धि करने के पश्चात ही बंटवाड़ा करने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की उभय पक्षकारान तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं स्वीकार कर रहे है कि दो आराजीयात की तरमीम सही नही है इस कारण से बंटवाड़ा नही किया जावे। तरमीम सही करवाने के पश्चात ही बंटवाड़ा किया जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा भी निवेदन किया गया है कि तरमीम शुद्धि के पश्चात की बंटवाड़ा किया जावे। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उभय पक्षकारान ही बंटवाड़ा नही करवाना चाहते है। उभय पक्षकारान तरमीम शुद्धि के पश्चात बंटवाड़ा करवाना चाहते है। पत्रावली पर वर्तमान में ऐसा कोई दस्तावेजात उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतित होता हो की तरमीम शुद्धि करवा ली गई हो। चुंकि प्रकरण केवल मात्र बंटवाड़े का है। तरमीम शुद्धि करवाने के पश्चात पक्षकारान पुनः बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे में अब इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः वादी का वाद नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए इस स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested